आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम 129)

समाहरणालय, सहरसा

(जिला विधि शाखा)

अधिहरण (उत्पाद) वाद सं0.....18...../17–18

राज्य बनाम मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-50E-6841

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद के टिप्पणी, तारीख–सहित। 3
11.8.17	पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में बनगॉव थाना कांड संख्या–80/16 दिनांक–08.10.16 में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (a) के तहत जब्त वाहन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-50E-6841 को मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्ताव करने हेतु नोटिश किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। पुलिस अधीक्षक, सहरसा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि बनगांव थाना कांड संख्या–80/16 दिनांक– 08.10.16 में पु0अ0नि0 गजेन्द्र कुमार बनगॉव थाना द्वारा रहुआमणि चौंक के आगे नहर के पास वाहन चेकिंग के क्रम में एक मोटर साईकिल पकड़ा गया एवं चेकिंग के क्रम में मोटर साईकिल के डिक्की से करीब 02 (दो) लीटर 250 मी0ली0 विदेशी शराब बरामद किया गया, जिसे विधिवत दो साक्षी के समक्ष विधिवत जप्त कर जप्ती सूची बनाया गया एवं वादी पु0अ0नि0 गजेन्द्र कुमार बनगॉव थाना के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर बनगॉव थाना कांड संख्या–80/16 दिनांक–08.10.16 धारा 30 (a) बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 दर्ज किया गया। एवं अनुसंधान के क्रम में कांड के प्राथमिकी नाम जप्त अभि0 (1) पवन कुमार पे0 लक्ष्मण महतो (2) राजमणि कुमार पे0 अनिल कुमार सिंह (3) सुभाष कुमार मुखिया पे0 मकेश्वर मुखिया तीनों सा0–सुखपुर, थाना+जिला–सुपौल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। उक्त विदेशी शराब और जब्त वाहन को अभिरक्षा में लेकर अभियोग	

11.8.17

दर्ज किया गया।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जब्त वाहन से अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि जब्त वाहन से शराब का परिवहन किया गया है। जिससे वाहन का अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होने की मंशा स्पष्ट होती है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में जब्त वाहन का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है।

विपक्षी की ओर से कारणपृच्छा दाखिल। कारणपृच्छा में अभिकथन किया गया कि उक्त वाहन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-50E-6841 का मालिक दिनांक–08.06.16 को औम मोटर्स लौहिया नगर सुपौल में हीरो एच0एफ0 डीलक्स खरीद किया तथा उसका निबन्धन तथा आई.सी.आई.सी.आई. क्लौम्बर्ड मोटर इन्स्योरेन्स में बीमा कराया तथा अभी चलाने हेतु लरनिंग में ही था। दिनांक–08.10.16 को राजमणि कुमार पिता अनिल कुमार सिंह उर्फ जवाहर सिंह जो दिल्ली में प्राईवेट कम्पनी में काम करता है वहां से दुर्गा पूजा के अवसर पर घर आ रहा था और सहरसा जंक्शन पर रेलगाड़ी से उतरने के पश्चात् उसने फोन द्वारा सूचित किया कि कोई गाड़ी सुपौल के लिये नहीं है इसलिये एक मोटर साईकिल भेज दें तथा उसके पिता के कहने पर आवेदक वाहन मालिक का छोटा भाई एक अन्य को साथ लेकर मोटर साईकिल लेकर सहरसा जंक्शन आया और उक्त राजमणि कुमार के साथ लेकर गांव के लिए चला और उसने अपने पीठ पर एक बैग लटकाये हुए थे और दुसरा बैग छोटा था जो डिक्की में रख दिया था। रहुआमणि नहर के पूल पर पुलिस द्वारा जांच करने पर राजमणि कुमार के पीठ पर लटका बैग से दो रॉयल चाइलेन्ज गोल्ड विस्की तथा राजमणि के बैग जो डिक्की में रखा था उसमें से एक बोतल रॉयल चाइलेन्ज गोल्ड विस्की यानि तीन बोतल शराब बरामद हुआ जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा है फोर सेल इन हरियाणा वनली।

आवेदक वाहन मालिक के भाई पवन कुमार तथा सुभाष कुमार मुखिया जो मोटर साईकिल लेकर राजमणि को लाने सहरसा गया था उसे राजमणि के पीठ पर के बैग तथा डिक्की में रखे उसके बैग में उक्त शराब का बोतल होने का कोई आभाष न था और न उन्होंने उन दोनों को इस बात की जानकारी दिया यानि ग्रामीण तथा पड़ोसी होने के नाते गुडफेथ में उसे सहरसा जंक्शन से घर सुखपुर लेकर जा रहा था।

शराब के बोतल में लिखे फोर सेल इन हरियाणा वनली स्पष्ट प्रमाणित करता है कि राजमणि ने उसे हरियाणा से खरीद कर घर ला रहा था तथा बैग में बन्द रहने के वजह से वाहन मालिक के भाई तथा अन्य को इस बात की जानकारी नहीं हो सकी थी।

11.8.17

वाहन मालिक एक गरीब आदमी है और अपनी बहन की शादी में देने के लिये मोटर साइकिल खरीद किया था और नवम्बर 2016 में शादी थी लेकिन इस बीच मोटर साईकिल जब्त हो गया तो शादी भी नहीं हो सकी। वाहन मालिक खुद वो इनके परिवार के कोई सदस्य न तो शराब का सेवन करता है न इस तरह का व्यवसाय ही करता है।

इनके वाहन से शराब परिवहन नहीं किया गया है न तो ऐसा अभिकथन है और न ही इस सम्बन्ध में इनके द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अभिकथन तथा पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाहन से अवैध शराब बरामद हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाबजूद जब्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की तहत उक्त वाहन का अधिग्रहण किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः जब्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-50E-6841 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 (2) में प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि जब्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत नीलामी कर विक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को देगें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की गयी है।

11.8.17
समाहर्त्ता,
सहरसा।

11.8.17
समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 1208-2 /विधि, दिनांक 17-08-2017 .

प्रतिलिपि– अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– मोटरयान निरीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.08.017
प्रभारी पदाधिकारी,
विधि शाखा, सहरसा।